

‘बैक टू वर्क’ योजना

चर्चा में क्यों?

30 नवंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिये राज्य सरकार की ‘बैक टू वर्क’ योजना को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि शादी के बाद घर-परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को नज्दी क्षेत्र के सहयोग से फरि से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ‘बैक टू वर्क’ योजना लेकर आई है।
- इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15 हजार महिलाओं को नज्दी क्षेत्र के सहयोग से फरि से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं हिसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जो महिलाएँ कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
- रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता नदिशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सगिल वड्डो ससिस्टम की सुविधा वकिसति की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से स्कलि ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के क्रियान्वयन के लिये सहयोगी संस्था/सीएसआर संस्था के पोर्टल अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षति श्रेणी की महिलाओं से आवेदन लिये जाएंगे।
- ऑनलाइन पोर्टल पर रजसिटरड महिलाओं को श्रेणीवार डाटाबेस के आधार पर नज्दी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का कार्य सीएसआर संस्था द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सीएसआर संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजसिटरड लक्षति श्रेणी की महिलाओं को री-स्कलिगि/अप-स्कलिगि हेतु प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसका अपडेशन पोर्टल पर किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के वतित एवं वनियोग वधियक पर चर्चा के दौरान ‘बैक टू वर्क’ योजना शुरू करने की घोषणा की थी।